दिनांक 21-11-2014 को माननीय श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में जिला अतिथि गृह, मधेपुरा में मधेपुरा जिला के राजस्व पदाधिकारियों के साथ राजस्व से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

पंजी के अनुसार

कार्यवाही :-

माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार, बिहार, पटना द्वारा सभी पदाधिकारियों का बैठक में भाग लेने के लिए स्वागत किया गया। तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा सर्वप्रथम राजस्व विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी एवं बताया गया कि राजस्व विभाग काफी महत्त्वपूर्ण है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है एवं 80 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है। आप सभी राजस्व विभाग से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं और आपकी भूमिका काफी अहम है।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य में लगभग 2,52,000 (दो लाख बावन हजार) महादलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अतिपिछड़ा वर्ग को विभिन्न स्रोतों से बसने हेतु वासगीत पर्चा /भूमि उपलब्ध करायी गयी है, इस जिले के 11,868 परिवारों को 356.04 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी गयी है।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तार से समीक्षा की गयी, जो निम्न प्रकार है :-

1-वासरहित महादलित परिवारों को बसाना :-

अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में वासरहित महादलित परिवारों को बसाने हेतु गैर मजरूआ आम, खास, बासगीत पर्चा एवं भूमि क्रय से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जो निम्न प्रकार है :-

क्र0	वास भूमि उपलब्ध करवाने का सोत	वसरहित महादलित परिवारों का कुल लक्ष्य (प्रथम चरण + द्वितीय चरण)	अद्यतन उपलब्धी		अभ्युक्ति
			परिवारों की संख्या	भूमि की रकवा	
1	2	3	4	5	6
1	गैर मजरूआ मालिक	5139	5092	152.76	लक्ष्य के विरूद्ध सर्वेक्षण के पश्चात् विलोपित महादलित परिवारों की
2	गैर मजरूआ आम	279	244	7.32	

3	वासगीत पर्चा	1650	1650	49.50	संख्या 1224 है। सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने पर समेकित प्रतिवेदन भेजा जाएगा।
4	रैयती भूमि का क्रय	6514	4882	146.46	
	कुल :-	13582	11868	356.04	

माननीय मंत्री महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि शेष बचे हुए परिवारों को बसाने हेतु कार्रवाई किया जाय।

2-ऑपरेशन भूमि दखल देहानी :-

माननीय मंत्री महोदय द्वारा बताया गया कि ऐसी शिकायतें मिल रही है कि बहुत से पर्चाधारी बेदखल हैं, जिन्हें दखल दिलाने की कार्रवाई की जाए। इस संबंध में पत्र भी आप सभी को मिला होगा। माननीय महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि अभियान चलाकर बेदखली पर्चाधारियों को दखल दिलाना सुनिश्चित किया जाए।

3-कैम्प कोर्ट :-

माननीय मंत्री महोदय द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक मंगलवार को अंचल स्तर पर कैम्प कोर्ट का आयोजन किया जाना है। सभी अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे कैम्प कोर्ट का आयोजन करें एवं अधिक से अधिक मामलें का निष्पादन सुनिश्चित करें, ताकि आम नागरिकों को इसकी सुविधा मिल सके।

4-सम्पर्क सड़क :-

माननीय मंत्री महोदय द्वारा बताया गया कि सम्पर्क विहीन टोलों को सड़क से जोड़ने का कार्यक्रम सरकार द्वारा लिया गया है। सभी अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि ऐसे टोलों की पहचान की जाए, जहां पर सड़क नहीं हो। निदेश दिया गया कि पहचान कर सम्पर्क सड़क हेतु प्रस्ताव जिला समाहर्त्ता को भेजें, ताकि सड़क के निर्माण की कार्रवाई की जा सके।

5-अंचल अमीन एवं राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति :-

माननीय मंत्री महोदय द्वारा बताया गया कि राज्य में अमीनों की काफी कमी है, जिससे सरकारी कार्यो के सम्पादन में बाधा उत्पन्न होती है। सरकार द्वारा लगभग 800 अमीनों के बहाली की कार्रवाई एक-दो माह के अन्दर कर दी जाएगी एवं सभी अंचलों को एक-एक अमीन तथा भू-अर्जन कार्यालय को भी एक अमीन के पद पर पदस्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार राजस्व कर्मचारियों की कमी को देखते हुए लगभग 4000 हल्का कर्मचारियों की नियुक्ति की कार्रवाई बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जा रही है और शीघ्र ही नियुक्ति कर सभी हल्कों में एक-एक कर्मचारी का पदस्थापन किया जाएगा।

6–आपदा :–

माननीय मंत्री महोदय द्वारा बताया गया कि आलमनगर अंचल के कपसिया, मुरौत गांव का कटाव हुआ था और वहां के परिवारों को पुनर्वासित करना था, जो अभी तक नहीं हो पाया है। इसी प्रकार चौसा अंचल के फुलौत पंचायत का बड़ी खाल टोला नदी में विलिन हो गया है, जिसे भी पुनर्वासित किया जाना है। सरकार के निदेश के आलोक में 4 डी0 जमीन देकर इन्हें पुनर्वासित किए जाने का प्रस्ताव है। अपर समाहर्त्ता, आपदा एवं अंचल अधिकारी, आलमनगर /चौसा को निदेश दिया कि इस संबंध में शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई किया जाए, ताकि उन्हें बसाने की कार्रवाई की जा सके।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा बताया गया कि अगर बाढ़ के कारण समतल खेत नदी में परिवर्तित हो जाता है, तो उस व्यक्ति को मुआवजा दिया जाना है। अतः इस संबंध में भी जांचोपरान्त कार्रवाई किया जाए।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा बताया गया कि चूंकि समय कम है और यह पहली समीक्षात्मक बैठक है, इसलिए अन्य बिन्दुओं पर बाद में समीक्षा की जाएगी।

सभी को बैठक में भाग लेने हेतु धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

प्रभारी पदाधिकारी	अपर समाहर्त्ता	माननीय मंत्री,
राजस्व शाखा, मधेपुरा।	आपदा प्रबंधन, मधेपुरा।	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार

ज्ञापांक.....937-2../रा0, मधेपुरा, दिनांक.-29-11-2014

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा /सभी अंचलाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : समाहर्त्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

अपर समाहर्त्ता

मधेपुरा।